प्रेस प्रकाशनी

1. संसद का मानसून सत्र, 2017 जो सोमवार, 17 जुलाई, 2017 को शुरू हुआ था, शुक्रवार, 11 अगस्त, 2017 को समाप्त हो गया। सत्र के दौरान 26 दिनों की अवधि में 19 बैठकें हुईं।

2. सत्र के दौरान 17 विधेयक (सभी लोक सभा में) पुर:स्थापित किए गए। लोक सभा द्वारा 14 विधेयक और राज्य सभा द्वारा 09 विधेयक पारित किए गए। संसद के दोनों सदनों द्वारा 13* विधेयक पारित किए गए। उन विधेयकों के नामों की सूची संलग्न है जिन्हें सत्र के दौरान पुर:स्थापित किया गया, जिन पर विचार किया गया और जिन्हें पारित किया गया।

3. लोक सभा की उत्पादिता क्रमश: 77.94% व राज्य सभा की उत्पादिता 79.95% रही।

4. सत्र के दौरान वर्ष 2017-18 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों (रेल सहित) तथा वर्ष 2014-15 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों और संबंधित विनियोग विधेयकों पर लोक सभा में चर्चा की गई और उन्हें पारित किया गया। इन विधेयकों को दिनांक 02.08.2017 को राज्य सभा में भेजा गया और विचार के लिए नहीं लिया जा सका क्योंकि राज्य सभा में विधेयकों की प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर इनको लोक सभा को लौटाया जाना संभव नहीं है, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 109 के खंड (5) के अंतर्गत विधेयकों को उक्त अवधि समाप्त होने पर उस रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित किया हुआ माना जाएगा जिस रूप में लोक सभा द्वारा उन्हें पारित किया गया था।

5. राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों अर्थात बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017, पंजाब नगर निगम विधि (चंड़ीगढ़ पर विस्तारण) संशोधन अध्यादेश, 2017, केंद्रीय माल और सेवा कर (जम्मू और कश्मीर पर विस्तारण) अध्यादेश, 2017 और एकीकृत माल और सेवा कर (जम्मू और कश्मीर पर विस्तारण) अध्यादेश, 2017 को प्रतिस्थापित करने वाले चार विधेयकों पर लोक सभा द्वारा विचार किया गया और उन्हें पारित किया गया। बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2017 को छोड़कर शेष तीन अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने वाले विधेयकों को राज्य सभा द्वारा नहीं लिया जा सका। चूंकि ये तीनों विधेयक धन विधेयक हैं और राज्य सभा में इनकी प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर लोक सभा को लौटाए जाने की संभावना नहीं है इसलिए संविधान के अनुच्छेद 109 के खंड (5) के अंतर्गत विधेयकों को उक्त अवधि समाप्त होने पर उस रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित किया हुआ माना जाएगा जिस रूप में लोक सभा द्वारा उन्हें पारित किया गया था।

6. लोक सभा में नियम 193 के अंतर्गत (i) देश में खाद्यान्न की स्थिति और (ii) देश में भीड़ की हिंसा और पीट कर मार देने की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति संबंधी विषयों पर 2 अल्पावधि चर्चाएं हुईं।

7. राज्य सभा में नियम 176 के अंतर्गत (i) देश में अल्पसंख्यकों और दलितों पर भीड़ की हिंसा और पीट कर मारने की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति; (ii) देश में किसानों की आत्महत्या की घटनाओं में बढ़ोतरी के कारण किसानों की दुखी अवस्था और (iii) भारत की विदेश नीति और रणनीतिक साझेदारों के साथ नियोजन विषयों पर 3 अल्पावधि चर्चाएं हुईं।

8. 'भारत छोड़ो आन्दोलन' का 75वां स्मरणोत्सव मनाने के लिए दोनों सदनों में दिनांक 09.08.2017 को विशेष चर्चा की गई।

9. इसके अतिरिक्त लोक सभा में देश के विभिन्न भागों में बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा की गई। इसी प्रकार राज्य सभा में (i) देश के विभिन्न भागों, विशेषकर असम में हाल में आई बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति और (ii) भारतीय समुद्रों में विदेशी मछुआरों द्वारा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए मंजूरी पत्र की निर्धारित शर्तों के उल्लंघन से उत्पन्न स्थिति और उसके संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी दो ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा की गई।

10. राज्य सभा में तीन पुराने लंबित विधेयकों अर्थात (i) पूर्वोत्तर परिषद (संशोधन) विधेयक, 2013; (ii) वास्तुविद (संशोधन) विधेयक, 2010; और (iii) प्रबंधन में कामगारों की प्रतिभागिता विधेयक, 1990 को वापस लिया गया।

***

*लोक सभा द्वारा यथा पारित और राज्य सभा को उसकी सिफारिश के लिए पारेषित पांच विधेयकों की राज्य सभा में उनकी प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर लोक सभा को लौटाए जाने की संभावना नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 109 के खंड (5) के अंतर्गत उक्त अवधि की समाप्ति पर विधेयकों को दोनों सदनों द्वारा, उस रूप में पारित किया गया मान लिया जाएगा जिस रूप में उन्हें लोक सभा द्वारा पारित किया गया था।

16वीं लोक सभा के बारहवें सत्र और राज्य सभा के 243वें सत्र (मानसून सत्र, 2017) के दौरान निपटाया गया विधायी कार्य

I-लोक सभा में पुर:स्थापित किए गए विधेयक

1. प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक, 2017
2. बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2017
3. स्टेट बैंक (निरसन और संशोधन) विधेयक, 2017
4. भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान (आईआईपीई) विधेयक, 2017
5. स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन संशोधन विधेयक, 2017
6. केंद्रीय सड़क निधि (संशोधन) विधेयक, 2017
7. पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ पर विस्तारण) संशोधन विधेयक, 2017
8. केंद्रीय माल और सेवा कर (जम्मू और कश्मीर पर विस्तारण) विधेयक, 2017
9. एकीकृत माल और सेवा कर (जम्मू और कश्मीर पर विस्तारण) विधेयक, 2017
10. सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2017
11. विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2017
12. विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2017
13. राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2017
14. मजदूरी संहिता, 2017
15. वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017
16. नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2017
17. निरसन और संशोधन (दूसरा) विधेयक, 2017

II-लोक सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2017
2. नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017
3. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी) विधेयक, 2017
4. कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016
5. भारतीय प्रबंधन संस्थान विधेयक, 2017
6. विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2017
7. विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2017
8. केंद्रीय माल और सेवा कर (जम्मू और कश्मीर पर विस्तारण) विधेयक, 2017
9. एकीकृत माल और सेवा कर (जम्मू और कश्मीर पर विस्तारण) विधेयक, 2017
10. बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2017
11. पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ पर विस्तारण) संशोधन विधेयक, 2017
12. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2017
13. भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान (आईआईपीई) विधेयक, 2017
14. स्टेट बैंक (निरसन और संशोधन) विधेयक, 2017

III-राज्य सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान विधेयक, 2017
2. नावधिकरण (समुद्री दावा की अधिकारिता और निपटारा) विधेयक, 2017
3. सांख्यिकी संग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2017
4. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2017
5. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी) विधेयक, 2017
6. संविधान (एक सौ तेइसवां संशोधन) विधेयक, 2017 *यथा संशोधित*
7. नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017
8. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2017
9. बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2017

IV-संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान विधेयक, 2017
2. नावधिकरण (समुद्री दावा की अधिकारिता और निपटारा) विधेयक, 2017
3. सांख्यिकी संग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2017
4. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2017
5. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी) विधेयक, 2017
6. नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017
7. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2017
8. बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2017
9. #विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2017
10. #विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2017
11. #केंद्रीय माल और सेवा कर (जम्मू और कश्मीर पर विस्तारण) विधेयक, 2017
12. #एकीकृत माल और सेवा कर (जम्मू और कश्मीर पर विस्तारण) विधेयक, 2017
13. #पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ पर विस्तारण) संशोधन विधेयक, 2017

V-वापिस लिए गए विधेयक

1. पूर्वोत्तर परिषद (संशोधन) विधेयक, 2013
2. वास्तुविद् (संशोधन) विधेयक, 2010
3. प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी विधेयक, 1990

#लोक सभा द्वारा पारित किए गए रूप में और राज्य सभा को उसकी सिफारिश के लिए प्रेषित विधेयक, राज्य सभा में उसकी प्राप्ति से चौदह दिनों की अवधि के भीतर लोक सभा को लौटाए जाने की संभावना नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 109 के खंड (5) के अंतर्गत उक्त अवधि की समाप्ति पर वह दोनों सदनों द्वारा, उस रूप में पारित किया समझा जाएगा।